


123

बिग 00262/2019/शहडोल/शु.यु

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 सफिड केम्प शिका अद्वय प्रदेश



रामप्रताप कुशवाहा पिता श्री गंगा प्रसाद कुशवाहा आयु-56साल निवासी ग्राम खामडौंड  
तहसील ब्योहारी जिला शहडोल म0प्र0 \_\_\_\_\_ आबेदक

बनाम

मनगिरिया ब्राम्हण पिता गंगा प्रसाद ब्राम्हण निवासी ग्राम नौदिया हाल निबास खामा  
तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0 \_\_\_\_\_ अनाबेदक

पुनरीक्षण बिरुद्ध श्री मान आयुक्त कमीशनर महोदय

शहडोल संभाग शहडोल जिला शहडोल म0प्र0

जरिये रा0 प्र0कं0-73 अपील 2017-18 आदेश दि0

3/12/2018 पुनरीक्षण आबेदन पत्र धारा 50

म0प्र0 मू0 राजस्व सहिता 1959

मान्यबर,

उक्त उन्मान प्रकरण मे आबेदक के पुनरीक्षण आबेदन पत्र का आधार  
निम्नाकित है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का राजस्व प्रकरण कामक 73 अपील/अ6/2017-18  
पारित आदेश दिनांक बिधि संगत न होने से यथाबत रखे जाने योग्य नही है।

रजि.प्र.ती.प्र.कु.सि.क.दि. 2

आज दि. 6-2-19 को  
परिचय शीट डांक से  
प्राप्त। (W)  
06-2-19

जनक न्याय काल  
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर  
सिफिड केम्प शिका

(2)

(186)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-0262/2019/शहडोल/भू.रा.

रामप्रताप कुशवाह विरुद्ध मनगिरिया ब्राह्मण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-19 श्रीवादे, म० प्र०	<p>प्रकरण पेश। आवेदक अधिवक्ता श्री सुरेश पाठक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 03/12/18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25/09/18 से प्रभावशील हो चुका है। जिसके फलस्वरूप निगरानी में सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। अतः यह प्रकरण सुनवाई का अधिकार न होने से अग्रहय किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">(मेहराचन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	